(33)

संख्या-557/2015/495/69-1-15-28(अ0सं0-37)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4440/15/छ:/28/2012-13, दिनांक 09 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ की न0निगम लखनऊ की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 07 परियोजनाओं हेतु कुल **रू0 268.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित** उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 134.265 लाख (रूपये एक करोड़ चौंतीस लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.........2

श्री मौर्या / श्री अरविन्द / श्री संजीव

604

29/5/15

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

क्रमशः..........3

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-1547/2015/495(1)/69-1-15-28(अ0सं0-37)/2015, दिनांक 28 मई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	मो0 अबरार नगर में सुबेदार सिंह के मकान से राम प्रताप गुप्ता के मकान होते हुए सर्वेश कुमार, मो0 जीमल, फैजूल रहमान, अब्दुल मदराना मस्जिद होते हुए एकलाख, मजीद हाजी एवं तौफीक के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	62.43	31.215
2	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	मो0 खुर्रमनगर में टाटा मोटर्स से मो0 अच्छेन, कादिर आटा चक्की, उजैद स्कूल, अब्दुल रज्जाक, नफीस टिम्बर, टावर वाली पुरानी मस्जिद एवं मो0 इब्राहिम के घर से अकबर अली, मो0 हालिम तथा मो0 आरिफ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	75.41	37.705
3	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	मो0 रहीम नगर में राजेश कपूर, राजेन्द्र सिंह, शकील, साहिद, नाजिम व तब्दील सज्जन, अजमेर अली व शंकर के घर होते हुए खातून के घर तक इण्टरलाकिंग रोड़ व नाली निर्माण का कार्य।	20.65	10.325
4	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	मो0 अकबर नगर में फैजाबाद रोड पर आसिफ, नूरउल्ला, अब्दुला, अमेर, रबीना, शकील एवं लाल मोहम्मद, अब्दुल हाफिस, पाठक, नीरा, पप्पू मदरसे से इरम स्कूल रियासत अली, मंसूर जहाँ, कवलजीत के घर होते हुये इकबाल रेशू के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग का कार्य।	33.45	16.725
5	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	मो0 निशातगंज में चौथी वाली गली से रहमत अली, बुद्धराम, वसीर अहमद, मोहम्म्द अली से सिद्धार्थ पार्क के चारों तरफ खरे मास्टर एवं उमाशंकर तथा प्रिया कनौजिया के घर तक नाली, इण्टरलाकिंग का कार्य।	20.21	10.105
6.	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	मो0 इस्माइलगंज में तेज प्रताप यादव, यूनिवर्सल स्कूल, मो0 शकील, मोहम्मद जियाउद्दीन के मकान से होते हुये इण्टरलाकिंग का कार्य।	36.45	18.225

—2—

http://shasanadesh.up.nic.in

7	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	मो0 निशातगंज तकिया में अशोक मार्ग से रसीदा नसीम, रिजवान, खादिम, रौनक खदीम होते हुये पुलिस चौकी निशातगंज एवं गुरूद्वारा विश्व बुक स्टोर से ओम प्रकाश गुलाम मीना खादिम, अख्तर एवं वीरेन्द्र जस्मेद से जावे मल्लन एवं शब्बीर के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.93	9.965
	योग			268.53	134.265

(रूपये एक करोड़ चौतीस लाख छब्बीस हजार पॉच सौ मात्र)।

(कमल किशोर गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in